ईशाक बनाम आसीन वगैरहा

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश है :–

1–यह है कि प्रार्थीगण ने अनुवान सदर का एक वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया गया है। जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर आधारित है। जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी आशा है।

2–यह है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 25 सभी एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सिजरा खानदान से प्रमाणित है।

3–यह है कि मौजा मेड़ास के खसरा नंबर 593 रकबा 1.5900 हैक्टर,खसरा नंबर 595 रकबा 1.9100 हैक्टर,525 रकबा 1.6300 हैक्टर,खसरा नंबर 589 रकबा 1.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 524 रकबा 1.1200 हैक्टर,खसरा नंबर 158 रकबा 1.8400 हैक्टर,खसरा नंबर 146 रकबा 0.3200 हैक्टर,खसरा नंबर 168 रकबा 0.6700 हैक्टर,खसरा नंबर 368 रकबा 4.2300 हैक्टर,खसरा नंबर 160 रकबा 2.4400 हैक्टर,खसरा नंबर 772/160 रकबा 0.4000 हैक्टर,खसरा नंबर 774/160 रकबा 2.8400 हेक्टर,खसरा नंबर 159 रकबा 0.0400 हैक्टर,खसरा नंबर 145 रकबा 1.2500 हैक्टर,खसरा नंबर 594 रकबा 3.4900 हैक्टर,खसरा नंबर 150 रकबा 1.3300 हैक्टर,खसरा नंबर 366 रकबा 2.0400 हैक्टर,खसरा नंबर 587 रकबा 1.6400 हैक्टर,खसरा नंबर 588 रकबा 0.6600 हैक्टर,खसरा नंबर 157 रकबा 1.7500 हक्टर,खसरा नंबर 169 रकबा 0.2500 हैक्टर,खसरा नंबर 147 रकबा 0.0100 हैक्टर,खसरा नंबर 148 रकबा 0.0500 हैक्टर,खसरा नंबर 170 रकबा 3.2800 हैक्टर,खसरा नंबर 144 रकबा 0.4800 हैक्टर,खसरा नंबर 367 रकबा 0.4000 हैक्टर,खसरा नंबर 369 रकबा 1.7400 हैक्टर,खसरा नंबर 778/366 रकबा 0.0400 हैक्टर,खसरा नंबर 779/587 रकबा 1.5100 हैक्टर,खसरा नंबर 7810/588 रकबा 0.6600 हैक्टर,खसरा नंबर 552 रकबा 16.430 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 25 की संयुक्त काश्त व कब्जसुद स्थित है। उक्त खसरान की भूमि वाद में आगे विवादित खसरान के नाम से सम्बोधित की जायेगी।

4–यह है कि वादग्रस्त खसरान के पुराने खसरान 76,76/1,76/1मीन,81,350, 350/1, 388, 414, 438, 436/1, 436/2, 437/1, 437, 441/1, 441/1 मीन, 439, 388,387, 65, 66, 66/1, 67,69,75,80,184 थे। जो पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वज सवाई जी की काश्त व कब्जसुद थी। सवाई के देहान्त के बाद उक्त भूमि उनके पुत्र धूला जी व ममारक जी को उतराधिकार में प्राप्त हुई। जिनका प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा था तथा दोनो भाई संयुक्त रूप से काश्त व काबिज थे।

5–यह है कि प्रथम सेटलमेंट के समय जब खातेदारी प्रदान की गई,तब ममारक जी बड़े भाई होने तथा राजकाज का समस्त कार्य करे तथा संयुक्त परिवार का कर्ता होने के कारण ममारक ने कर्ता खानदान की हैसियत केवलमात्र अपने नाम ही खातेदारी दर्ज करवा ली। प्रार्थीगण के पर्वज धूला खां का नाम दर्ज नहीं करवाया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 25 की पैतृक भूमि है। गिरदावरी में धूला का नाम दर्ज होता रहा। जिसकी पुष्टि गिरदावरी नकले से प्रमाणित है। मौके पर 1/2 हिस्सा पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 17 से 25 का तथा 1/2 हिस्सा पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 का संयुक्त रूप से काश्त व कब्जा है। मगर खातेदारी में गलत रूप से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 का नाम दर्ज चला आ रहा है।

6–यह है कि विवादित खसरान की खातेदारी में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 का नाम गलत रूप से दर्ज होने से इस नाम की आड़ में भू माफिया किस्म के व्यक्ति तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 गलत रूप से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 के काश्त व कब्जा में दखल करने पर आमादा है। अन्यत्र बेचान करने पर आमादा है।

7–यह है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बहुत ही मजबूत है। वादग्रस्त खसरान की भूमि के 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 का संयुक्त काश्त व

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

कब्जासुद है। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण उक्त गलत एक्ट से प्रार्थीगण को अपूर्णीनीय क्षति हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 की ओर से वकील अर्जुनपुरी ने वकालतनामा व जबाब पेश किया गया। तथा 15 व 16 की ओर से वकील कैलाशराम कलवानियां ने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 22 से 28 के नोटिस बाद तामिल के प्राप्त होने के उपरांत उपस्थित नहीं हुए। उनके विरूध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 14 व 15, 16 ने अपने जबाब में बताया गया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 का कोई हक,अधिकार,काश्त व कब्जा नहीं है। बल्कि उक्त भूमि अप्रार्थीगण जबाबदेहिन्दा की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। वादग्रस्त आराजी का धूला जी व ममारक ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त खसरान का बंटवारा कर लिया। जिसमें वादग्रस्त भूमि ममारक जी के बंट में रखी गई तथा पुराने खसरा नंबर कुल रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा भूमि धूला जी के बंट में रखी गई। जिससे वादग्रस्त खसरान की भूमि में धूला जी का 1/2 हिस्सा होने का तथ्य गलत व झूठा है। बल्कि वादग्रस्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि ममारक जी की बंटसुदा,खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। पारिवारिक बंटवारा के बाद में धूला जी बंटसुदा भूमि पर ममारक जी व उनके वारिसान काश्त व काबिज थे ता ममारक जी के देहान्त के बाद 63 बीघा 11 बिस्वा हीरा व चांद को उतराधिकार में प्राप्त हुई। चांद खांव हीरा ने अपना सम्पूर्ण खातेदारी हक जरिये रजिसटर्ड बेचाननामा के हरीराम जाट को बेचान कर दी गई। अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर देने के बाद हीरा खां व चांद खां सपरिवार भैसड़ा चले गयें उसके प्श्चात मेड़ास में कोई जमीन नहीं रहीं ना ही वादग्रस्त भूमि में उनका कोई हक व अधिकार रहा। प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 व उनके पूर्वजो का नाम बिल्कुल सही रू‍प से चला आ रहा है।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अपूर्णीनीय क्षति भी अप्रार्थीगण को हो रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम थी। जो संयुक्त रू‍प से काश्त व काबिज थे। आज भी संयुक्त रू‍प से काश्त काबिज है और मौके पर कब्जा है। मगर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 खातेदारी की आड़ में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है, बेचान करने पर आमादा है। सेटलमेंट के समय ममारक खां कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त आराजी अपने नाम करवा ली गई। मगर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 का भी वादग्रस्त आराजी में हक व अधिकार, बंट है। प्रार्थीगण के पूर्वज धूला खां का नाम खातेदारी में दर्ज नहीं करवाया गया।भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 25 की पैतृक भूमि है। जिसकी पुष्टि गिरदावरी संवत् 2008 से 2025 से प्रमाणित होता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें व ताफैसला वाद के अस्थाई निषेधाज्ञा पुख्ता की जावें।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 व 15 व 16 की वकील ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 17 से से 25 का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण वर्तमान में रेकोडेड खातेदार है। जिसमें प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का कोई हक व अधिकार नहीं है। मेड़ास के खसरा नंबर 71,72,73,74,44व 45 रकबा 63.11 बीघा धूला जी की बंट की थी। बंटवारा होने के प्श्चात धूला जी की बंटसुदा भूमि पर ममारक जी व उनके वारिसान का काश्त व कब्जा था। उनके देहान्त के बाद हीरा व चांद को उतराध्किार में प्राप्त हुई। हीरा व चांद खां

खण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर

ईशाक बनाम आसीन वगैरहा

ने अपना खातेदारी हक हरीराम को जरिये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया और सपरिवार भैसड़ा चले गये। उनके नाम मेड़ास में कोई भूमि शेष नहीं रही। ना ही वादग्रस्त आराजी में उनका काश्त व कब्जा रहा। अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 भैसड़ा ही रहते है तथ्यों को छिपाकर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण आउट ऑफ पजेशन होने से प्रार्थीगण को राईटू शू नहीं है। बिना वजह अप्रार्थीगण जबाबदेहिन्दा को मुकदमें बाजी में घसीटा जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मोजूद राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी संवत् 2073–76 व पुरानी गिरदावरी व जमाबंदीयो का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचन से पाया गया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान जगाबंदी अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 के नाम खातेदारी में दर्ज नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 के पूर्वजो ने जब बंटवारा किया गया था। जिसमें 63.11 बीघा जमीन उनके बंट में आई जिसको रजिस्टर्ड बेचान हरीराम पुत्र गोपीराम जाट निवासी मेड़ास को करके अन्यत्र ग्राम भैसड़ा सपरिवार चले गये। वहां पर निवास करते है। वादग्रस्त आराजी में उनको कोई काश्त व कब्जा नहीं है। केवल मात्र अप्रार्थीगण संख्या 1 से 16 का ही काश्त कब्जा है। क्योंकि उनके नाम रेकोर्डेड खातेदारी दर्ज है। सेटलमेंट क समय से ममारक खान के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिसमें सें अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 के पूर्वजो के नाम जो भूमि बंट में दी गई उसका उन्होने बेचान कर दिया गया। अब उनके हिस्से में वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा नहीं है। ना ही काश्त व कब्जा है इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 आउट ऑफ पजेशन है। जिनका कोई राईट वादग्रस्त आराजी पर बनता है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है क्योंकि वह रेकोर्डेड खातेदार नहीं है और ना ही उनका काश्त व कब्जा है। ना ही ग्राम मेड़ास में निवास करते है केवल मात्र परेशान करने की नियत से रेकार्डेड खातेदार के विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। जिस पर उनका कोई राइट नहीं बनता है। सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष ने नहीं होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 के पक्ष में है। क्योंकि उनका नाम शुरू से ही खातेदारी में चला आ रहा है और मौके पर काश्त व कब्जा बेरोकटोक चला आ रहा है। अगर इनको वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो अपूर्णीनीय क्षति भी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 16 को ही होगी। क्योंकि वह रेकोर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 ऑउट ऑफ पजेशन है।

प्रार्थना पत्र के उक्त तीनो बिन्दु प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 17 से 25 के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर अप्राथीगण संख्या 1 ता 16 के पक्ष में प्रतीत होते है,क्योंकि व रेकार्डेड खातेदार है और मौके पर काश्त काबिज है। रेकोर्डेड खातेदार के विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं रखी जा सकती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.09.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03/04/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
रियांबड़ी
जिला–नागौर